(15)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 198–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–12–15 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील उज्जैन प्रकरण कमांक 2/अ–13/15–16.

---

नादान बाई पति प्रकाश
निवासी उज्जैन
कृषक ग्राम चिन्तामण जवासिया
तहसील व जिला उज्जैन .....आवेदिका

**विरूद्ध**

सीताबाई पति देवजी
निवासी ग्राम चिन्तामण जवासिया
तहसील व जिला उज्जैन .....अनावेदिका

---

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदिका

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 11/7/17 को पारित)**

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील उज्जैन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चिन्तामण जवासिया तहसील व जिला उज्जैन स्थित सर्वे कमांक 225/3 रकबा 0.35 आरे उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ते को अनावेदिका द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/15–16 दर्ज कर दिनांक 28–12–15 को अंतरिम आदेश पारित किया

जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 131 के अंतर्गत अंतरिम रास्ता दिये जाने के पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना आज्ञापक प्रावधान है, जिसका पालन किये बिना तहसील न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्ती योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में आवेदिका को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यहां तक कि स्थल निरीक्षण की सूचना भी आवेदिका को नहीं दी गई है ।

(3) अनावेदिका द्वारा जो रास्ता चाहा गया है, वह रूढ़िगत नहीं है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता खोले जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका की फसल को नुकसान न हो, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया गया है, और प्रकरण में अभी तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी से स्थल निरीक्षण कराया गया है, और कृषि कार्य में अनावेदिका को कोई असुविधा न हो इसलिए अभी मात्र अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदिका को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत नहीं होने के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकती हैं । अतः तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार, तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–15 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण अपर तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर